न्यायालय नायब तहसीलदार, तहसील, सूरजगढ़, जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी ::: स्वाति (तहसीलदार)

मिसल नं. ::: 96 / 2023

सरकार बनाम हवासिंह पुत्र हरफूल, रणधीर पुत्र सुरजाराम, महावीर पुत्र ठण्डुराम, मनोज मान पुत्र होशियार, जाति–जाट, महावीर पुत्र सुरजाराम, जाति–महाजन, सत्यवीर पुत्र सुरजाराम, राजेन्द्र पुत्र देवकरण, जाति–जाट, निवासीगण– कुलोठ खुर्द

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत

निर्णय दिनांक : 30.06.2023

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। इस प्रकरण में संक्षेप में मामला इस प्रकार से है कि गैर सायलान हवासिंह पुत्र हरफूल, रणधीर पुत्र सुरजाराम, महावीर पुत्र ठण्डुराम, मनोज मान पुत्र होशियार, जाति–जाट, महावीर पुत्र सुरजाराम, जाति–महाजन, सत्यवीर पुत्र सुरजाराम, राजेन्द्र पुत्र देवकरण, जाति–जाट, निवासीगण– कुलोठ खुर्द द्वारा रोही मौजा कुलोठ खुर्द की राजकीय भूमि ख.नं. 528 / 95 के कुल रकबा 6.44 है0 किस्म गै.मु. जोहड़ मेंसे 0.60 है0 भूमि पर तारबन्दी कर अतिक्रमण करने की रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत की गई। हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया। गैर सायलान को नोटिस जारी किया गया।

गैर सायलान को जारी नोटिस के प्रत्युत्तर में अंकित किया गया है कि ख.नं. 528 / 95 में श्मशान भूमि व आस पास 200 पीपल व 250 बड़ के पौधे ग्रामवासियों ने लगाये है, उनकी सुरक्षा के लिये तारबन्दी जोहड़ भूमि के रास्ते की तरफ पशुओं को पेड़ो से बचाने के लिये रास्ते के बराबर में तारबन्दी की है, कोई अतिकमण नही किया है।

चूंकि ग्राम पंचायत क्षेत्र में स्थित श्मशान भूमि की केयर टेकर ग्राम पंचायत होती है। अतः पत्रांक नयाबत / 2023 / 167–168 दिनांक 24.02.2023 एवं स्मरण पत्र कमांक नयाबत / 2023 / 180–181 दिनांक 22.03.2023 द्वारा विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरजगढ़ एवं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द से स्पष्ट रिपोर्ट चाही गयी कि क्या उक्त पेड़ लगाने एवं तारबन्दी करने के संबंध में ग्राम वासियों द्वारा ग्राम पंचायत से कोई अनुमति ली गई थी, या ग्राम पंचायत उक्त तारबन्दी को गैर सायलान का व्यक्तिगत अतिकमण मानती है।

विकास अधिकारी पंचायत समिति सूरजगढ़ के पत्रांक 302 दिनांक 20.04.2023 एवं ग्राम ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत कुलोठ खुर्द के पत्रांक 94 दिनांक 05.04.2023 द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट में अंकित किया गया है कि ग्राम पंचायत उक्त तारबन्दी को व्यक्तिगत अतिक्रमण नही मानती है।

इस पर तृतीय स्मरण पत्र प्रेषित कर लिखा गया कि, ग्राम विकास अधिकारी ने उनके द्वारा एनओसी जारी नही करना बताते हुए वर्णित किया है कि ग्राम पंचायत इसको व्यक्तिगत अतिक्रमण नहीं मानती है। ग्राम पंचायत इसे किस प्रकार का अतिक्रमण मानती है ? अतिक्रमण मानती है अथवा नही के संबंध में विकास अधिकारी एवं ग्राम विकास अधिकारी पुनः स्पष्ट रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें।

इस पर पंचायत समिति सूरजगढ़ के पत्रांक 1007 दिनांक 28.06.2023 द्वारा लिखा गया है कि ख.नं. 528/95 रकबा 6.44 है0 में से 0.60 है0 में तारबंदी ग्रामवासियों द्वारा सामूहिक रूप से जन सहयोग द्वारा श्मसान घाट के आस पास लगे हुए पेड़ पौधों की सुरक्षा के लिए की गई है। वर्तमान में खसरा नं. 528/95 में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है।

चूंकि ग्राम पंचायत एवं पंचायत समिति द्वारा यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वर्तमान में खसरा नं. 528/95 में किसी प्रकार का अतिक्रमण नही है। अतः प्रकरण में आगे कार्यवाही जारी रखना न्यायोचित नही होने से गैर सायलान के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती हैं मिसल फैसल नम्बर से कम की जाकर दाखित दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30.06.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(स्वाति)
तहसीलदार, सूरजगढ़